न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 08 / 24 — सन् 2024

GCMS NO-2024/ 32

बउनवानीः—1. कृपान्शु गौत्तम उर्फ सूर्यकान्त पुत्र स्व. श्री देवकीनन्दन ब्राहमण निवासी जीनापुर तहसील ,सवाईमाधोपुर

2. श्रुति पुत्री स्व. श्री देवकीनन्दन ब्राहमण निवासी जीनापुर तह0,सवाईमाधोपुर

3. निकिता पुत्री स्व. श्री देवकीनन्दन ब्राहमण नि0 जीनापुर तह0,सवाईमाधोपुर

बनाम

सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 142 दिनांक 14.12.2004 वाके ग्राम जीनापुर तह0 सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः— 1. श्री प्रितम सिंह चौधरी — वकील अपीलान्ट

2. श्री विष्णु माथुर(नायब तहसीलदार) — सरकार पैरोकार

—: निर्णय :— दिनांक **28.11.2024**

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर के द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 142 निर्णय दिनांक 14.12.2004 वाके ग्राम जीनापुर तहसील सवाईमाधोपुर के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण खारिज योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट के पिता देवकीनन्दन की मुत्यु दिनांक 9.6.2004 को हो जाने पर वाके ग्राम जीनापुर के ख0न0 11 रकबा 5.18 की आराजीयात की विरासत का नामा0 दिनांक 14.12.2004 को खोला गया जिसमे अपीलान्ट का नाम कृपांशु के स्थान पर सूर्यकान्त पुत्र देवकी नन्दन एवं निकिता के स्थान पर निकी व श्रुति के स्थान पर छोटू पुत्री स्व. देवकीनन्दन के नाम से खोला दिया गया है जो गलत है क्योकि आदेश जैर अपील पारित करते समय अपीलान्टगण नाबालिग थे एवं बचपन के बोलते नाम से नामा0 भरकर दर्ज फैसल कर दिया। जबकि अपीलान्ट का रिकार्डेड नाम कृपांशु, निकिता एवं श्रुति है कथन के समर्थन मे आधार कार्ड, मार्कशीट की प्रति इत्यादि पेश की गयी। अपीलान्ट नाबालिग होने से आदेश जैर अपील की जानकारी उनको नही हो सकी। अतः आदेश जैर अपील को निरस्त कर अपीलान्ट के पिता स्व0 श्री देवकीनन्दन के सभी वारिसान के सही नाम की पुष्टि करवायी जाकर पुनः नये सिरे से नामा0 भरवाया जावे बाबत अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:00:50 IST
Reason: SelfAttested

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

(अपील नामा0 संख्या 08/2024 उनवानी कृपान्शु बनाम सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर)

विद्वान पैरोकार राजस्व ने द्वौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील अपीलान्टगण के नाम गलत दर्ज किये गये है इसलिए मृतक देवकीनन्दन पुत्र बदरी लाल शर्मा के विधिक वारिसान के सही नाम की जॉच करवाया जाना उचित होगा। अतः आदेश जैर अपील तथ्यो के विपरीत होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

विद्वान वकील अपीलान्ट एवं पैरोकार राजस्व द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है, कि आदेश जैर अपील पारित करते समय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक देवकी नन्दन पुत्र बदरी लाल शर्मा के वारिसान के सही नाम की जॉच नही की गयी है ओर ना ही उनको सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को अपने सही नाम की पुष्टि हेतु सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाना उचित प्रतीत होता है ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील (नामा0 संख्या 142 निर्णय दिनांक 14.12.2004 वाके ग्राम जीनापुर) खारिज किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार संवाईमाधोपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि मृतक देवकी नन्दन पुत्र बदरी लाल शर्मा के सभी विधिक वारिसो के सही नाम की जॉच करे एवं अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर दिया जाकर अपने सही नाम से संबंधित साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जावे एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों को रिकार्ड पर लिया जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:00:50 IST
Reason: SelfAttested

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

........(2)........

Scanned with OKEN Scanner